न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 103/17 (223 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2017/00219

उनवान

1. लक्ष्मीनारायन (मृतक)
   1/1. प्रेमवती पत्नि स्व0 लक्ष्मीनारायन
   1/2. कैलाशचन्द
   1/3. मनीष कुमार
   1/4. पुष्पेन्द्र कुमार
   1/5. किशोर कुमार सिकन्दर
   1/6. रेखा रानी
   1/7. भानुप्रिया
   1/8. बबीता
   } पिसरान लक्ष्मीनारायन जाति कोली निवासी कोतवाली के पीछे कोडियान मौहल्ला भरतपुर।
2. सुरेश
3. राजकुमार
   } पुत्रगण केसरिया जाति कोली नि0 कोतवाली के पीछे कोडियान मौहल्ला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. तालेवर
2. अतर सिंह
   } पिसरान हुक्मा जाति लोधा निवासीयान अचलपुरा तहसील व जिला भरतपुर।

..... रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर दिनांक 11.05.2017 उनवानी तालेवर बनाम लक्ष्मीनारायन मु0न0 207/11

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री ललता प्रसाद उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री प्रमोद कुमार उपमन उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 31.10.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के आदेश दिनांक 11.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता 03 रकवा 0.42 है0 वाके ग्राम अचलपुरा तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है, जो कि वादी/रैस्पो0 के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है एवं कब्जा भी वादी/रैस्पो0 का ही है। प्रतिवादीगण/अपीलांट झगडालू एवं चालाक किस्म के व्यक्ति हैं जिनका कार्य आये दिन दूसरो की आराजी में दखलनदाजी करके झगडा करना है। विवादित आराजी से प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट का कोई संबंध सरोकार नहीं है। अतः वाद प्रस्तुत कर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि रैस्पो0 सवर्ण वर्ग के सदस्य हैं एवं अपीलाण्ट अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। विवादित आराजी के किसी भू भाग पर यदि अपीलाण्ट ने कब्जा किया हो। ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। वास्तविक स्थिति यह है कि हाल आराजी खसरा नंबर 193, 196, 197 रकवा 42 एयर अपीलाण्ट की पुश्तैनी आराजी है जिस पर अपीलाण्ट के पिता केसरिया गैर खातेदार काश्तकार थे। जिन्होंनें उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त कने हेतु वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया, जो दिनांक 29.03.2000 को खारिज हुआ। उक्त आदेश की अपील अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की, जो दिनांक 16.06.2000 को स्वीकार होकर अपीलाण्ट को उक्त खसरा नम्बरान का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। उक्त आदेश की अपील रैस्पो0 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में प्रस्तुत की गयी, जो दिनांक 24.07.2003 को खारिज हुयी। इस प्रकार अपीलाण्ट को उक्त विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे। परन्तु रैस्पो0 ने बाला–बाला अपीलाण्ट की उक्त आराजी पर अपीलाण्ट के नाम कलमजन कराते हुये अपने नाम दर्ज करा लिये, जो कतई गलत हैं। अपीलाण्ट की विवादित आराजी पर रैस्पो0 के नाम कब आये पता नहीं चला। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायलाय में अभिभाषक नियुक्त किया था परन्तु उन्होंनें कोई जवाब नहीं दिया एवं अधीनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय रूप से डिक्री पारित कर दी। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस मे तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप हैं। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया है परन्तु उनके द्वारा कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं ना ही कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत की गयी है। जबकि रैस्पो0 ने अपना शपथ पत्र व जमाबन्दी प्रस्तुत की गयी हैं। रैस्पो0 विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज हैं एवं विवादित आराजी पर रैस्पो0 का ही कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। दावा रैस्पो0 धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का है जिसमें अदालत को केवल यही देखना है कि खातेदारी वादीगण की है या नहीं एवं कब्जा

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

काश्त है या नहीं। जहाँ तक खातेदारी का प्रश्न है तो जमाबन्दी में रैस्पो0 खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। अपीलाण्ट ने जिन निर्णय व डिक्री का जिक्र किया है वह कही भी साक्ष्य में प्रमाणित नहीं है एवं ना ही अपीलाण्ट द्वारा उन्हें साक्ष्य में प्रस्तुत किया है। अंत मे अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा न्यायालय हाजा का आदेश दिनांक 16.06.2000 व माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निर्णय दिनांक 24.07.2003 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट को विवादित आराजी खसरा नम्बर 193, 196, 197 पर खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। परन्तु वर्तमान में विवादित आराजी रैस्पो0 के नाम दर्ज है। रैस्पो0 विवादित आराजी पर अपने नाम न्यायालय के आदेश से आना कथन करते हैं। परन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य ना तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं ना ही हस्तगत अपील में प्रस्तुत किया है। अतः प्रथम दृष्टया रैस्पो0 के कथनो को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पेशी दिनांक 23.03.2017 को अग्रिम पेशी दिनांक 17.05.2017 नियत की गयी है। परन्तु अपीलाधीन आदेश पूर्व नियत पेशी दिनांक से पूर्व ही दिनांक 11.05.2017 को पारित किया गया है। उक्त तारीख पेशी की सूचना अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारो को दी गयी हो। ऐसा भी कोई सम्मन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं ना ही अपीलाधीन आदेश में ही प्रक्षकारो की उपस्थिति दर्शायी गयी है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट के अभिभाषक द्वारा कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया है एवं ना ही अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर मिला है। अतः हम न्यायहित में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय दिनांक 11.05.2017 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुये एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विश्लेषण करते हुये, तनकीवार तार्किक निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह वास्ते सुनवाई एवं पेश करने दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.11.2023 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 31.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

31/10/23

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर